रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1998/ज्येष्ठ 4, 1920
No. 325] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1998/JYAISTHA 4, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. आ. 453 (अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (V) और धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने की प्रस्थापना करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन से पश्चात् विचार किया जाएगा।

प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने में कोई व्यक्ति हितबद्ध है तो वह उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित में ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

पर्यावरण का संरक्षण, उपरिमृदा संरक्षण और भूमि पर तथा भूमिभरण में कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से निस्सारित फ्लाई एश का सन्निक्षेपण और व्ययन करने का निवारण करना आवश्यक है, और उपरिमृदा के उत्खनन को निर्बन्धित करने की और कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर भवन सामग्री के विनिर्माण में सन्निर्माण क्रियाकलापों में अन्य उपयोग के लिए फ्लाई एश के उपयोग को संप्रवर्तित करने की आवश्यकता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (V) और धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही—

(क) कोई व्यक्ति कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों के पचास किलोमीटर के व्यास के भीतर उपरिमृदा का उत्खनन नहीं करेगा या उत्खनन नहीं कराएगा।

(ख) सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र उत्पादित सम्पूर्ण फ्लाई एश का उपयोग निम्न प्रकार से करेंगे :

(1) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, एश आधारित भवन सामग्री जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ब्लाक, ईंटें, पैनल या किसी अन्य सामग्री के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए या सड़कों, तटबंधों के सन्निर्माण के लिए या किसी अन्य क्रियाकलापों के लिए बिना किसी संदाय किसी अन्य प्रतिफल के शुष्क फ्लाई एश, बाटम एश और पांड एश उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र जिसकी स्थापना ऐसे पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के अधीन की गई है, जिसमें संपूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने के लिए कार्य योजना अनुबद्ध की गई हो, इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से नौ वर्ष की अवधि के भीतर योजना के अनुसार भूमि पर और भूमिभरण में फ्लाई एश के सन्निक्षेपण और व्ययन को बंद कर देगा। ऐसी कार्य योजना में विद्युत संयंत्र में उत्पादित सम्पूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से एक वर्ष के भीतर बीस प्रतिशत फ्लाई एश के उपयोग के साथ आगामी आठ वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से प्रति वर्ष दस प्रतिशत के उपयोग में और वृद्धि की व्यवस्था होगी।

(3) पैरा (2) के अंतर्गत न आने वाले प्रत्येक कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन के पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर, विद्युत संयंत्रों द्वारा तैयार की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार भूमि पर और भूमिभरण में फ्लाई एश के सन्निक्षेपण और व्ययन को बंद कर देंगी। ऐसी कार्य योजना में विद्युत संयंत्र में उत्पादित सम्पूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए, इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से तीन वर्ष के भीतर फ्लाई एश के बीच प्रतिशत के उपयोग के साथ आगामी बारह वर्षों के लिए उत्तरोत्तर रूप से प्रति वर्ष उपयोग में और समानुपातिक वृद्धि की व्यवस्था होगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा (ख) के खण्ड (2) और (3) के अधीन सभी कार्य योजनाएं, इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर तैयार की जाएंगी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएंगी।

(5) केन्द्रीय और राज्य सरकार अधिकरण, राज्य विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और तापीय विद्युत संयंत्रों के प्रबंधक, उत्पादन प्रयोजनों के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे, विद्युत और जल की व्यवस्था करेंगे और उस क्षेत्र के समीप जहां विद्युत संयंत्र में फ्लाई एश का उत्पादन होता है, एश आधारित उत्पादन एककों की स्थापना का संप्रवर्तन करने के लिए एश उत्थापन क्षेत्र तक पहुंचने की व्यवस्था करेंगे।

(6) कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालना के बारे में जानकारी देने वाली वार्षिक क्रियान्वयन रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी।

(7) शुष्क फ्लाई एश, बाटम एश या पौंड एश से भवन सामग्री का विनिर्माण जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ब्लाक, ईंटें, पैनल या कोई अन्य सामग्री अथवा सन्निर्माण क्रियाकलापों में जैसे सड़कों, तटबंधों में ऐसी एश का उपयोग या कोई अन्य उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(8) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सन्निर्माण अभिकरण, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर प्राइवेट सैक्टर में हैं, इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर विनिर्देशों और सन्निर्माण संविदाओं की तत्संबंधी अनुसूचियों में, जिसके अंतर्गत समुचित मानक और आचार संहिता है, एश और एश आधारित उत्पादों का उपयोग और सन्निर्माण पद्धतियां विहित करेंगे।

(9) सभी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, अपनी-अपनी भवन उपविधियों और विनियमों में, भवन सामग्री, सड़कों, तटबंधों में या किसी अन्य उपयोग के लिए एश और एश आधारित उत्पादों का उपयोग और सन्निर्माण तकनीकें विहित करेंगे।

[सं. 16-2/95-एच एस एम डी]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 453(E).—The following draft of a notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of Section 3 and clause (e) of sub-section (2) of Section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration by the Central Government on or after sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any person interested in filing any objection against the proposed draft notification may do so in writing to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Prayavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, within the said period of sixty days.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas it is necessary to protect the environment, conserve top soil prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land and in landfills.

And whereas there is a need for restricting the excavation of top soil and promoting the utilisation of fly ash in the manufacture of building materials, in construction activity for other uses within a specified radius of fifty kilometers from coal or lignite based thermal power plants.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of Section 3 and clause (e) of sub-section (2) of Section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs, that on and from the date of final publication of this notification under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986—

(A) No person shall excavate or cause to be excavated top soil within a radius of fifty kilometers from coal or lignite based thermal power plants.

(B) All coal or lignite based thermal power plants shall utilise the entire fly ash generated in the power plants as follows :

1. Every coal or lignite based thermal power plant shall make available dry fly ash, bottom ash and pond ash without any payment or any other consideration for the purposes of manufacturing ash based building materials such as cement, concrete, blocks, bricks, panels or any other material or for construction of roads, embankments or for any other construction activity.
2. Every coal or lignite based thermal power plant set up subject to environmental clearance conditions stipulating the submission of an action plan for full fly ash utilisation shall, within a period of nine years from the final publication of this notification, phase out the dumping and disposal of fly ash on land and in landfills in accordance with the plan. Such action plan shall provide for twenty per cent of the fly ash utilisation, within one year from the final publication of this notification with further increase in utilisation by ten per cent every year progressively for the next eight years to enable the utilisation of the entire fly ash generated in the power plant.
3. Every coal or lignite based thermal power plant not covered by paragraph (2) shall, within a period of fifteen years from the final publication of this notification, phase out the dumping and disposal of fly ash on land and in landfill in accordance with an action plan to be drawn up by the power plants. Such action plan shall provide for twenty per cent of fly ash utilisation within three years from the final publication of this notification, with further proportionate increase in utilisation every year progressively for the next twelve years to enable the utilisation of the entire fly ash generated in the power plant.
4. All action plans under clause (2) & (3) of paragraph B of this notification, shall be prepared and submitted to the Central Pollution Control Board within a period of three months from the date of final publication of this notification.
5. The Central and State Government agencies, the State Electricity Boards, the National Thermal Power Corporation and the management of the thermal power plants shall make available land, provide electricity and water for production purposes and access to the ash lifting area for promoting the setting up of ash based production units in the proximity of the area where fly ash is generated in the power plant.
6. Annual implementation report providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30th day of April every year to the Central Pollution Control Board by the coal or lignite based thermal power plants.
7. Manufacture of building materials from dry fly ash, bottom ash or pond ash, such as cement, concrete, blocks, bricks, panels or any other material or the use of such ash in construction activity such as in roads, embankments or for any other use shall be carried out in accordance with specifications laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, Central Building Research Institute, Roorkee, Central Road Research Institute, New Delhi, Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, National Research Development Corporation, New Delhi.
8. The Central Public Works Department, Public Works Department, Development Authorities, Housing Boards, National Highway Authority of India and other construction agencies including those in the private sector within a specified radius of fifty kilometers from coal or lignite based thermal power plants, shall prescribe the use of ash and ash based products and construction systems in their respective schedules of specifications and construction applications, including appropriate standards and codes of practice, within a period of four months from the final publication of this notification.
9. All local authorities shall prescribe in their respective building bye laws and regulations the use of ash and ash based products and construction techniques in building materials, roads, embankments or for any other use within a period of four months from the date of final publication of this notification.

[No. 16-2/95-HSMD]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.